राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
www.artandculture.delhigovt.nic.in

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/1741-1791 दिनांकः 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, स्थानीय निकाय,
   स्वायत्त संस्थाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विषयः "दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000" के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

जैसाकि विदित है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने "दिल्ली राजभाषा अधिनियम–2000" के अन्तर्गत उर्दू एवं पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। अतः अनुरोध है कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग/कार्यालय निम्नलिखित अनुसार "दिल्ली राजभाषा अधिनियम–2000" को क्रियान्वित करें।

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा उर्दू या पंजाबी में आवेदन पत्र अथवा याचिकाएं प्राप्त करना और उनका उत्तर देना।

(ख) महत्वपूर्ण सरकारी नियम, विनियम और राजपत्र अधिसूचनाओं के उर्दू और पंजाबी अनुवाद का भी प्रकाशन।

(ग) सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों तथा सड़कों आदि के नामपट्ट उर्दू तथा पंजाबी में भी लिखा जाना।

(घ) उर्दू तथा पंजाबी के समाचार–पत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का भी प्रकाशन।

(ङ) जहां कहीं आवश्यक हो विधानसभा की कार्यवाही उर्दू और पंजाबी में भी अभिलेखबद्ध की जाएगी तथा उर्दू एवं पंजाबी में भी साथ–साथ जारी की जाएगी।

उर्दू एवं पंजाबी भाषा संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए इस विभाग के दूरभाष संख्या 23392001–6 (इन्टरकॉम 3715) से संपर्क किया जा सकता है। अधिनियम की प्रति इस विभाग की वेबसाइट **www.artandculture.delhigovt.nic.in** से प्राप्त की जा सकती है।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

भवदीय

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/1792-1795 दिनांकः 19/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः–

1. सचिव, उपराज्यपाल दिल्ली, राजनिवास सचिवालय, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, उप–मुख्यमंत्री, दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 1796 –1846 दिनांकः 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी परिसर, दिल्ली.

विषयः दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।

महोदय/महोदया,

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के विभागों तथा उनसे जुड़े उपक्रमों/निकायों/संस्थानों में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियमावली, 1976 एवं दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2003 के नियमों तथा इनके अन्तर्गत जारी आदेशों/निदेशों के उपबंधों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में कार्य न किए जाने संबंधी गणमान्य व्यक्तियों/सामान्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से बार–बार पत्र प्राप्त होते रहते हैं और यह विभाग उन पत्रों का संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं पाता है। इस सरकार की दिनांक 14.01.2004 की अधिसूचना सं0 7 (9)/97–भाषा के अनुसार हिन्दी को दिल्ली की राजभाषा पहले ही घोषित किया जा चुका है परन्तु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किसी भी विभाग में अपेक्षित प्रतिशत कार्य राजभाषा में नहीं हो रहा है, जो विभागों की हिन्दी के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

जबकि दिल्ली सरकार के अधिकतर अर्थात् 80प्रतिशत से अधिक कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी में प्रवीण है और लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी रखते है । यह विभाग हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों/कर्मचारियों से टिप्पण, प्रारूपण इत्यादि के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग करने की आशा करता है जबकि वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । यहां तक कि हिन्दी में लिखे गए अथवा हस्ताक्षरित पत्रों तक का उत्तर भी जनसाधारण, गणमान्य व्यक्तियो, कर्मचारियों, स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं आदि को अंग्रेजी में दिया जाता है। इस संबंध में राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 एवं नियम 7 (1) (2) एवं 7 (3) में स्पष्ट उल्लेख है जिसके उद्धरण अनुपालन हेतु निम्न प्रकार हैं :–

नियम 5 के अनुसार, नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिये जायेंगे।

आवेदन, अभ्यावेदन आदि :– 7. (1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिनका कर्मचारी पर तामिल किया जाना

अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के सभी उपबंधों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष सं0: 23392307

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 1847 – 1856 **दिनांकः** 19/8/19

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31 उत्तरी परिसर नार्थ, राम कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली–01.
3. सचिव सभी भाषा अकादमियां एवं साहित्य कला परिषद, डॉ0 गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्, करोल बाग, दिल्ली/नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. मुख्य मंत्री महोदया के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. सभी मंत्रियों के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. अध्यक्ष, नागरी लिपि परिषद्, राजघाट, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
9. सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास सरस्वती बाल मंदिर, नारायणा विहार, नई दिल्ली–28 को सूचनार्थ।
10. सलाहकार (जनकल्याण), मुख्यमंत्री कार्यालय, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 1857 - 1907 दिनांकः 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), टोडापुर, नई दिल्ली।

ध्यानाकर्षण : सम्बद्ध जनसूचना अधिकारी/राजभाषा कार्यान्वयन अधिकारी।

विषयः प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट राजभाषा हिन्दी में बनाए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 06.12.2012 एवं 03.9.2013 को जारी परिपत्र सं0 8(1)/ 2012–क0सं0एवंभाषा/2720–2723 दिनांक 8.1.2012–क0सं0एवं भाषा/1755–58 के संदर्भ में देखें (www.artandculture.delhigovt.nic.in)। इस परिपत्र के अनुसार राजभाषा भाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत उल्लिखित निदेशों के अनुसार प्रत्येक विभाग को अपनी वेबसाइट अनिवार्य रूप से राजभाषा हिन्दी में बनाये जाने का उल्लेख था। पुनः आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग की वेबसाइट राजभाषा हिन्दी में तैयार करने के लिये अविलम्ब कदम उठायें तथा इस विषय में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी यथाशीघ्र इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 1908–1922 दिनांकः 19/8/19

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।

3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री एवं उनके सभी संसदीय सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली सरकार, 5वां तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।
6. सभी भाषा अकादमियों, साहित्य कला परिषद्, गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् के जनसूचना अधिकारी/राजभाषा कार्यान्वयन अधिकारी को उनके संबंधित सचिवों के माध्यम से।
7. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली।
8. सहायक निदेशक (शिकायत), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एनडीसीसी–II भवन, बी–विंग, चौथ तल, जयसिंह रोड़, नई दिल्ली–01.
9. सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, तीस हजारी।
10. विशेष सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सचिवालय के निजी सचिव को सूचनार्थ।
11. अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31, उत्तरी परिसर, रामा कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली।
12. श्री हरपाल सिंह राणा, ए–1 गाँव और डाकघर, कादी पुर, दिल्ली–36.
13. सचिव, शिक्षा संस्कृति एवं उत्थान न्यास सरस्वती बाल मंदिर, जी ब्लाक नारायण विहार, नई दिल्ली–28
14. संबंधित कर्मचारी को वेबसाइट में डाउनलोड करने के अनुरोध सहित।
15. गार्ड फाईल।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 1923–1953 **दिनांकः** 19/8/19

सेवा में,
1. **समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।**

विषयः राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कार्य सुनिश्चित करने का अनुरोध ।

महोदय/महोदया,

इस सरकार तथा इसके स्थानीय निकायों/उपक्रमों में राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार समय–समय पर दिल्ली की प्रथम राजभाषा में कार्य सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया जाता रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकतर विभागों के अधिकतर अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुरूप कार्य करने के प्रति गंभीर नही है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि दिल्ली सरकार के प्रति अपने वैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हुए सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार अपने कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के लिये यथोचित निदेश देने का कष्ट करें। ताकि इस सरकार की भाषा नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

भवदीय

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 1954–1967 **दिनांकः** 19/8/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।

6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।

7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने के अनुरोध सहित ।

8. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।

9. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली–92.

10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद् के प्रत्येक बड़े विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने के अनुरोध सहित ।

11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने के अनुरोध सहित ।

12. महाप्रबंधक(प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने के अनुरोध सहित ।

13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को प्रत्येक बड़े विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने के अनुरोध सहित ।

14. उप–निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 1968 - 2018 दिनांकः 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली–92.
4. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. प्रबंध निदेशक, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
6. उप–सचिव, दिल्ली विधानसभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली–54.
7. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
8. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी परिसर, दिल्ली.

विषयः सरकार भवनों, कार्यालयों तथा सड़कों के नामपट्ट हिन्दी के साथ–साथ उर्दू तथा पंजाबी भाषा में लिखने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के दिनांक 17.03.2004 के समसंख्यक पत्र और दिनांक 25.4.2004 के अनुस्मारक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनमें दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में पंजाबी व उर्दू भाषा के प्रयोग की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने तथा राजभाषा अधिनियम के अनुसार सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों के समस्त नामपट्ट हिन्दी के साथ–साथ उर्दू तथा पंजाबी में लिखवाने का अनुरोध किया गया था।

आपसे पुनः अनुरोध है कि दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000 में पंजाबी और उर्दू भाषा के लिये किय गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों के नाम पट्ट हिन्दी के साथ–साथ उर्दू तथा पंजाबी मे लिखवाएं जायें। इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई के लिये इस विभाग के अलावा सचिव, पंजाबी अकादमी, फोन संख्या 23616243, 23616265 तथा 23615979 और सचिव, उर्दू अकादमी का फोन संख्या 23830635–9 से भी संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय

(signature) 19/8/19

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 2019 - 2022 दिनांकः 19/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, उपमुख्यमंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

(signature) 19/8/19

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सातवां तल,
सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 2023–2073 **दिनांकः** 19/8/19

सेवा में,

1. **समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।**

विषय : हिन्दी के प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में देखने का कष्ट करें। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 दिनांक 26.1.2004 से लागू किया जा चुका है जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रभावी रूप से लागू करने के लिय समस्त विभागों का दायित्व और भी बढ़ जाता है।

आपकी जानकारी में यह भी लाया जा रहा है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केन्द्रीय राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिन्दी में ही दिया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त के अलावा यदि दिल्ली की जनता किसी विभाग से उर्दू या पंजाबी में पत्र व्यवहार करती है तो दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 की धारा 4 (क) के अनुसार उसका उत्तर संबंधित भाषा में ही दिया जाना है और इसके कार्यान्वयन के लिये किसी प्रकार की कठिनाई हेतु इस विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्था के बारे में अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

21/8/19

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
फोनः 23392307

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 2074–2089 **दिनांकः** 19/8/19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ।

8. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।

9. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली–92.

10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद् के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ।

11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ। ।

12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ। ।

13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।

14. श्री हरपाल सिंह राणा, अध्यक्ष, दिल्ली विकास समिति, ए–1 गॉव और डाकघर, कादी पुर, दिल्ली–36.

15. संबंधित कर्मचारी को वेबसाइट पर उपलोड करने हेतु।

16. गार्ड फाईल।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सातवां तल,
सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 2091–2141 दिनांकः 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिन्दी में सुनिश्चित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये समय–समय पर दिल्ली सरकार के विभागों/कार्यालयों तथा इसके अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकायों के जनसूचना अधिकारियों के पास गणमान्य नागरिकों तथा अग्रणी संस्थाओं द्वारा हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्राप्त होते रहते हैं।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में पत्र आदि का उत्तर, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हो, किसी भी राज्य सरकार, व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्राप्त हो, उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए। राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार दिल्ली सरकार के अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण भी हैं और इसके आधार पर उनसे आशा की जाती है कि सूचना के अधिकार, 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित पत्र के उत्तर हिन्दी में प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत करें ताकि आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपेक्षित जानकारी हिन्दी में उपलब्ध हो सके।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने जनसूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी तथा सूचना के अधिकार, 2005 संबंधी कार्य देख रहे सभी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को अनुपालन हेतु आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

5/8/19

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/ 2142 – 2154 दिनांकः 19/8/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ।
8. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
9. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली–92.
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद् के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ। ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ। ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/2155–2205 दिनांकः 19/8/19

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी, दिल्ली।

विषयः नामपट्ट सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरे मैन्युल प्रक्रिया संबंधी साहित्य, निमंत्रण पत्र, बैज, इश्तहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान–पत्र, यातायात संकेतों, यातायात संबंधी दिशा–निदेशों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषणों, स्मृति चिन्हों, लोगो, फाइल कवरों, बैनरों, लेखन सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करवाने संबंधी।

महोदय,

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 5.12.2007, 30.7.09, 4.1.2010, 30.4.2010, 26.7.2010, 14.01.2011 एवं 03.5.2011 को जारी परिपत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है। इस विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 6.5.1996 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/2/96–रा0भा0 एवं दिनांक 24.5.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1/14013/8/94–रा0भा0ए0 –1 में भी इस विषय में स्पष्टतः उल्लेख हैं, लेकिन इस के बावजूद भी दिल्ली सरकार के कुछ विभाग/कार्यालय तथा उनके अधीन स्वायत्त निकाय/उपक्रम निष्ठापूर्वक इनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करवा रहे है। जो कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के उपबंधों का पूर्णतः उल्लंघन है। अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि आप व्यक्तिगत रूचि लेकर विभाग के केयर टेकिंग से जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

19/8/19

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/2206–2215 दिनांकः 19/8/19

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली–110 001 नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 28 जुलाई, 2011 के अं0शा0 सं0 यू0 16012/27/2010–दिल्ली–1 के संदर्भ में।
3. सचिव सभी भाषा अकादमियां एवं साहित्य कला परिषद, डॉ0 गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्, करोल बाग, दिल्ली/नई दिल्ली।
4. मुख्य मंत्री महोदया के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
5. सभी मंत्रियों के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के निजी सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. भागीदारी कक्ष, मुख्य मंत्री कार्यालय, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को भागीदारी आयोजित करने वाले विभागों से अनुपालन कराने के अनुरोध सहित।
8. अध्यक्ष, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31 उत्तरी परिसर नार्थ, राम कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली–01.
9. अध्यक्ष, नागरी लिपि परिषद्, राजघाट, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
10. सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, सरस्वती बाल मंदिर, नारायणा विहार, नई दिल्ली–28 को सूचनार्थ प्रेषित।

19/8

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)